न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—372/2016/225 (2016/00372)

1. श्रीमती कमला देवी पत्नि मदनलाल, जाति रेगर, नि0 ग्राम भाण्डावास, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर हाल नि0 अम्बेडकर छात्रावास के पास, केकड़ी रोड़, सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सावर (केकड़ी) वर्तमान तहसील सावर, जिला अजमेर । ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, (केकड़ी) वर्तमान तह0 सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 11.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 6/2013 .

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 09.01.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 11.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सावर, तहसील केकड़ी वर्तमान तहसील सावर में स्थित आराजी खाता संख्या 108 के खसरा नंबर 1979 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 1983 रकबा 0.53 है0, खाता संख्या 111 के खसरा नंबर 1984 रकबा 0.59 है0, खसरा संख्या 1991 रकबा 0.59 है0, खाता संख्या 104 के खसरा नंबर 1974 रकबा 0.58 है0, खसरा संख्या 1992 रकबा 0.23 है0, खाता संख्या 105 के खसरा नंबर 1991/5716

रकबा 0.38 है0, खसरा संख्या 1994 रकबा 0.18 है0, खसरा संख्या 1995 रकबा 0.57 है0 के रिकार्डेड खातेदार काश्तार अपीलांट है एवं खसरा संख्या 1985 रकबा 1.27 है0 भूम अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या के खसरा संख्या 1985 की एवं वर्तमान अपीलांट के खसरा संख्या 1984 की सींव एक ही है, अर्थात् सींवजोड़ है । अपीलांट के खेतों में आने–जाने एवं काश्त करने, फसल लाने ले जाने का कोई रास्ता नहीं है, अपीलांट अपने खेतों में खसरा नंबर 1985 से आवागमन करता है एवं अपीलांट का आवासीय मकान भी वही पर बना हुआ है किन्तु यह रास्ता नक्शा ट्रेस में कटा नहीं होने के कारण रेस्पो0 संख्या 1 इस रास्ते से अपीलांट को आने–जाने व उक्त आराजी पर साधन आदि लाने में बाधा उत्पन्न करता है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रास्ता खसरा संख्या 1985 की दक्षिणी दिशा पर पूर्व से पश्चिम सड़क तक अपीलांट को अपने खेत पर जाने के लिये डी0एल0सी0 दर रास्ता दिया जावे । अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण का जरिये नोटिस तलब किया तत्पश्चात् प्रकरण को दौराने कैम्प सावर में रखकर दिनांक 12.7.2016 को बिना दोनों पक्षों की उपस्थिति में तथा बिना मौका रिपोर्ट तलब किये अपीलांट के प्रार्थना पत्र को दिनांक 11.7.2016 (12.7.2016) को निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम सावर, तहसील केकड़ी वर्तमान तहसील सावर में स्थित आराजी खाता संख्या 108 के खसरा नंबर 1979 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 1983 रकबा 0.53 है0, खाता संख्या 111 के खसरा नंबर 1984 रकबा 0.59 है0, खसरा संख्या 1991 रकबा 0.59 है0, खाता संख्या 104 के खसरा नंबर 1974 रकबा 0.58 है0, खसरा संख्या 1992 रकबा 0.23 है0, खाता संख्या 105 के खसरा नंबर 1991/5716 रकबा 0.38 है0, खसरा संख्या 1994 रकबा 0.18 है0, खसरा संख्या 1995 रकबा 0.57 है0 के रिकार्डेड खातेदार काश्तार अपीलांट है एवं खसरा संख्या 1985 रकबा 1.27 है0 भूम अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या के खसरा संख्या 1985 की एवं वर्तमान अपीलांट के खसरा संख्या 1984 की सींव एक ही है, अर्थात् सींवजोड़ है । अपीलांट के खेतों में आने–जाने एवं काश्त करने, फसल लाने ले जाने का कोई रास्ता नहीं है, अपीलांट अपने खेतों में खसरा नंबर 1985 से आवागमन करता है एवं अपीलांट का आवासीय मकान भी वही पर बना हुआ है किन्तु यह रास्ता नक्शा ट्रेस में कटा नहीं होने के कारण रेस्पो0 संख्या 1 इस रास्ते से अपीलांट को आने–जाने व उक्त आराजी पर साधन आदि लाने में बाधा उत्पन्न करता है । अधी0न्याया0 के द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट के न्यायिक हितों को दरकिनार करते हुए एवं संपूर्ण दस्तावेज का बिना अवलोकन किये ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व उच्च न्यायालय द्वारा पारित नजीरों का बिना अवलोकन किये धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प में रखकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना मौका रिपोर्ट तलब किये प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित

की है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अपीलांट की भूमि पर आवागमन हेतु किसी वैकल्पिक रास्ते का भी उल्लेख नहीं किया है । अपीलांट अपनी खातेदारी भूम खसरा नंबर 1984 एवं अन्य में वैकल्पिक रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 1985 की दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिम सड़क के लिये नजदीी छोटा रास्ता है तथा अपीलांट अपने खेत पर सींवजोड़ खसरा नंबर 1985 की सींव के सहारे–सहारे आती जाती रही है, जबकि खसरा संख्या 1985 को स्कूल आवंटन से पूर्व अपीलांट अपनी आराजी एवं रहवासी मकान के आने जाने हेतु उक्त खसरा संख्या 1985 का उपयोग करती रही है । अधी0न्याया0 को प्रकरण को निर्णित करने हेतु भौतिक स्थिति की रिपोर्ट तलब करना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना भौतिक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 पार्ट–2 पेज 1281, डी0एन0जे0 2017 पार्ट–1 पेज 1, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 40, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 649, डी0एन0जे0 2016 (4) पेज 222, आर0बी0जे 2016 पेज 539, आर0आर0टी0 2016 पार्ट–2 पेज 1147 एवं डी0एन0जे0 2017 पेज 168 के न्यायिक दृष्टांट उद्धरित किये ।

5. जवाब में पैरोकार सरकार विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने जिस भूमि खसरा नंबर 1985 से रास्ता चाहा है वह स्कूल की भूमि है जिसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है तथा न ही उक्त भूमि कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने जिस खसरा नंबर 1985 की भूमि में से स्वंय की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता चाहा है, यह भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय सावर की है । अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने बिना रिपोर्ट तलब किये प्रकरण को राजस्व कैम्प में रखकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । दौराने बहस अपीलांट का कथन रहा है कि खसरा संख्या 1985 की दक्षिणी दिशा पर पूर्व से पश्चिम सड़क तक अपीलांट अपने खेत पर जाने के लिये रास्ते के रूप में उपयोग करता चला आ रहा है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व तहसीलदार से भौतिक मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर मात्र पटवारी हल्का की रिपार्ट के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए को निरस्त किया है। धारा 251–ए में यह स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है कि रास्ते के संबंध में तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को निर्णित करना होता है किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णत को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी का निर्णय दिनांक 11.7.2016 अपास्त

किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट की खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार से उभयपक्ष की मौजूदगी में मौके की भौतिक रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 9.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर